Response on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance to order dated 04.01.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 425/2022 M.C. Dwivedi V/s State of U.P.

The Hon'ble NGT has passed an order dated 13.07.2022 in O.A. No.- 425/2022 M.C. Dwivedi V/s State of U.P. The operative portion of the order is as under:-

"....2. *In view of the averments made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report from a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Kasganj. The Joint Committee shall meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite remedial action by following due process of law. State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.*

3. *Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

4. *List the matter for further consideration on 11.10.2022.*

5. *A copy of this order, along with a copy of the application, be forwarded to State PCB and District Magistrate, Kasganj by e-mail for requisite compliance....*"

2- In compliance of the above Hon'ble NGT order, District magistrate, Kasganj constituted a committee on 05.08.2022 comprising of the following officers:-

1- SDM, Sahawar, Kasganj

2- Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Aligarh

3- Upper Mukhya Adhikari, Jila Panchayat, Kasganj

4- Mining Officer, Kasganj

3- The committee inspected the site of the following brick kilns on 31.08.2022 and Action Taken Report of the Joint Committee was submitted to the Hon'ble NGT on 06.10.2022 :-

a- M/s Ujala Bricks, Village-Ramchitauni, Post-Garhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

b- M/s Sarpanch Ent Udhyog, Village-Ramchitauni, Post-Garhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

c- M/s Diamond Brick Field, Village-Ramchitauni, Post-Garhka, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

d- M/s Famous Bricks, Village-Kharpara, Thana-Ganjdudwara, Tehsil-Sahawar, District-Kasganj.

4- Further Hon'ble NGT passed an order on 11.10.2022 in the above matter. The operative part of the order is as under:-

"....4. *In view of the averments in the application and observations/recommendations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) UPPCB, (3) District Magistrate, Kasganj and (4) M/s Ujala Bricks, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj, Uttar Pradesh, (5) M/s Surpunch Int Udyog, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj, Uttar Pradesh, (6) M/s Diamond Brick Field, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj, Uttar Pradesh, and (7) M/s Famous Bricks, Village Karpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj, Uttar Pradesh who stand impleaded as respondents No. 1 to 7. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 7 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

5. *Notice be served on Project Proponents- M/s Ujala Bricks, M/s Surpunch Int Udyog, M/s Diamond Brick Field and M/s Famous Bricks through District Magistrate, Kasganj and for this purpose notices issued to the Project Proponents be sent to the District Magistrate, Kasganj by E-mail for getting service of the same effected on them and sending his report in this regard within three weeks. O. A. No. 425/2022 M.C. Dwivedi Vs. State of U.P.*

6. *List the matter for further consideration on 04.01.2023.*

7. *A copy of this order along-with notices issued to the project proponents be sent to the District Magistrate, Kasganj within seven days for compliance regarding service of the notice on the project proponents and sending his report as directed above....*"

5- In compliance of above order dated 11.10.2022 the notices along with joint committee report were got received to the Project Proponents on 29.12.2022 and receiving of the documents were uploaded on Hon'ble NGT through E-mail on 30.12.2022. The copy of the receiving by the Project Proponents is annexed as **Annexure-I.**

6- Further Hon'ble NGT has passed an order on 04.01.2023 and directed that:-

".....2. Vide order dated 13.07.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee and directed the same to submit factual and action taken report within two months. In compliance thereof report of the Joint Committee was filed vide email dated 06.10.2022.

3. Vide order dated 11.10.2022, notices were ordered to be issued to respondents no. 1 to 7. None has appeared for respondents no. 1 and 3.

4. Mr. Pradeep Misra, learned Counsel for respondent no. 2 and Mr. Ali Muzaffar, learned Counsel for respondents no. 4 to 7 seek time to file reply/response on their behalf.

5. Reply/response on behalf of respondent no. 2 and respondents no. 4 to 7 be filed within one month at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List the matter for further consideration on 28.02.2023...."

7- In compliance of the Hon'ble NGT order dated 04.01.2023, the following action has been taken against the defaulter brick kilns:-

(1) U.P. Pollution Control Board has issued Closure Order against M/s Diamond Brick Field, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj U/s-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. The Environmental Compensation of Rs. 4,37,500/- & 25,000/- is also imposed against M/s Diamond Brick Field, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj for the violation of the Closure Direction issued by the SPCB. The process for filling complaint in the Special Court (Air & Water Pollution Control), Lucknow has been initiated against M/s Diamond Brick Field, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj for the violation of the Closure Order. The copy of the letters for Closure Order and Environmental Compensations are annexed as **Annexure-II & III.**

(2) U.P. Pollution Control Board has issued Closure Order against M/s Famous Bricks, Village Karpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj U/s-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. The Environmental

Compensation of Rs. 1,75,000/- is also imposed against M/s Famous Bricks, Village Karpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj for the violation of the Closure Direction issued by the SPCB. The process for filling complaint in the Special Court (Air & Water Pollution Control), Lucknow has been initiated against M/s Famous Bricks, Village Karpara, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj for the violation of the Closure Order. The copy of the letters for Closure Order and Environmental Compensations are annexed as **Annexure-IV & V.**

(3) U.P. Pollution Control Board has issued Closure Order against M/s Surpunch Int Udyog, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj U/s-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. The Environmental Compensation of Rs. 75,000/- is also imposed against M/s Surpunch Int Udyog, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj for the violation of the Closure Direction issued by the SPCB. The process for filling complaint in the Special Court (Air & Water Pollution Control), Lucknow has been initiated against M/s Surpunch Int Udyog, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj for the violation of the Closure Order. The copy of the letters for Closure Order and Environmental Compensations are annexed as **Annexure-VI & VII.**

(4) U.P. Pollution Control Board has issued Closure Order against M/s Ujala Bricks, Village Ramchhitoni, Post Gadka, Thana Gunjdundwara, Tehsil Sahawar, District Kasganj U/s-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. The copy of the letter for Closure Order is annexed as **Annexure-VIII.**

(5) The above mentioned Brick Kilns were previously inspected by the U.P. Pollution Control Board on 07-02-2023 and 08-02-2023. These brick kilns were found not in operation.

With reference to the Hon'ble NGT order dated 04-01-2023, the aforesaid Response is being hereby filed.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Aligarh

Item No.05

(Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH

(By Video Conferencing)

Original Application No.425/2022

M. C. Dwivedi

...Applicant

Versus

State of U.P

...Respondent

Date of hearing: 11.10.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None.

Respondent: Mr. Pradeep Misra and Mr. Daleep Dhyani, Advocates alongwith Mr. J.P Singh, Regional Officer, For UPPCB.

Application is registered based on a Letter Petition received by E-Mail.

ORDER

1. Grievance in the present letter petition, which has been treated and registered as original application, is against operation of brick kiln in village Ram Khitoni, Tehsil Sahawar, District Kasganj, Uttar Pradesh in violation of environmental norms without CTE/CTO. The applicant has also alleged that operation of brick kiln, which is situated in close proximity to his orchard having about 500 mango trees spread over six acres of land, has affected his mango production. The applicant made complaint dated 28.03.2022 to the Member Secretary and Regional Officer of UPPCB, but no action has been taken.

2. Vide order dated 13.07.2022, this Tribunal constituted a Joint Committee comprising of the State PCB and District Magistrate, Kasganj and directed the same to submit factual and action taken report within two months.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या: वृत्त–4 / ईट–1043 / बन्दी आदेश / 2022. दिनांक 7-9-22

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड,
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका,
जनपद–कासगंज।

मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईंट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अतर सिंह (चौकीदार) की उपस्थिति में किया गया। संदर्भित ईंट भट्ठा चिमनी से लगभग लगभग–430 मीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में ग्राम–रामछितौनी, पूरब दिशा में लगभग–450 मी0 की दूरी पर मै0 सरपंच ईंट उद्योग स्थित है, दक्षिण–पूर्व दिशा में लगभग–230 मी0 की दूरी पर आम का बाग तथा पूरब दिशा में लगभग– 730 मी0 दूरी पर आम का बाग स्थित है। ईंट भट्ठे की चिमनी से दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद्–गंजडुण्डवारा की सीमा लगभग–3.3 कि.मी. की दूरी पर है, जो 2012 की नियमावली के विरुद्ध है। आख्यानुसार प्रश्नगत ईंट भट्ठे की स्थापना राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना की गयी है एवं बिना सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये ईंट भट्ठे का संचालन किया जा रहा है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

"…. 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant……"

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ द्वारा पत्र सं0–1313/केडी–104/2022 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से ईंट भट्ठे के विरुद्ध दिनांक 15.05.2022 से 18.06.2022 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,37,500/– (रूपये चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–37 के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के विरुद्ध दिनांक 15.05.2022 से 18.06.2022 तक कुल 35 दिन डिफाल्टर मानते हुए रू0 12,500/– प्रतिदिन के आधार पर कुल रू0 4,37,500/– (रूपये चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ) मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 डायमण्ड ब्रिक फील्ड, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका जनपद–कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ईंट भट्ठे के की खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि ईंट भट्ठे को उनके द्वारा ईंट पथाई एवं फुकाई हेतु निर्गत लाइसेंस, अनुमति आदि निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से भी बन्द करवाने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे द्वारा संचालित ईंट पथाई एवं फुंकाई कार्य को तत्काल रुकवाये जाने हेतु जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन के अन्दर मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Scanned with OKEN Scanner

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्याः 30617/सी–4/ईंट–1041/बन्दी आदेश/2022, दिनांक : 2-9-22

मै0 फेमस ब्रिक्स, (निर्माणाधीन)
गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज।

निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज ईंट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित किया जा रहा है/स्थापित जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा परिसर में ईंट भट्ठे के निर्माण हेतु पक्की ईंटें भण्डारित पायी गयी एवं ईंट भट्ठे के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। ईंट भट्ठे के प्रस्तावित स्थल से पूरब दिशा में लगभग–860 मीटर की दूरी पर ग्राम–पचपोखरा, दक्षिण–पूरब दिशा में लगभग–670 मी0 की दूरी पर ग्राम–खरपरा, दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–540 मी0 की दूरी पर आम का बाग, दक्षिण दिशा में लगभग–490 मी0 दूरी पर आम का बाग स्थित है एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में लगभग–780 मी0 दूरी पर मै0 सरपंच ईंट उद्योग, ग्राम–रामछितौनी, पो0 गरका, थाना–गंजडुडवारा, तह0 सहावर जनपद–कासगंज स्थित है। दक्षिण–पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद–गंजडुडवारा की सीमा लगभग 2.4 कि.मी. की दूरी पर है। निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित किया जा रहा है। ईंट भट्ठा बोर्ड द्वारा जारी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के द्वारा पत्रांक–1312/एनओसी–3121/2022 दिनांक–01.09.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 01.09.2022 के अनुक्रम में निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज द्वारा अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्ठा के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 फेमस ब्रिक्स, गाटा सं0–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुड़वारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज को मिलने वाली सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला पंचायत की अनुमति आदि न दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग के संचालन को तत्काल अपने स्तर से बंद करवाने हेतु कृपया सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय के साथ कि भट्ठे का लाइसेन्स निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कासगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

IV 8

15/02/23

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H29100 /सी–4/ईट–1041/पर्या०क्षति०/2023 दिनांक : 14-02-23

सेवा में

मै० फेमस ब्रिक्स,
गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मा० भारतीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–837/2022 सुनीता सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री अब्दुल खलीक (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईंट भट्ठा स्थल उ०प्र० शासन द्वारा जारी उ०प्र० ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.08.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नहीं है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच80617/सी–4/ईट–1041/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से मै० फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरुद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र संख्या–2736/एम०ओसी–3121/2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 17.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 07 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/– प्रतिदिन की दर से 07 दिवस हेतु कुल रु० 87,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g. *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions*

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै० फेमस ब्रिक्स, गाटा संख्या–8, ग्राम–खरपरा, थाना–गंजडुडवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरुद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू० 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू० 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू० 1,75,000/– (रूपये एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं०–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,
Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

AEE

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

AEE 16/2/23

V

9

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

रजिस्टर्ड

पत्रांक संख्या 30/17 /सी-4/ई0-1041/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 2-9-22

मै0 [illegible] ब्रिक्स (निर्माणाधीन)
गाटा सं0-6, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुण्डवारा, तहसील-सहावर,
जनपद-कासगंज।

निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 [illegible] ब्रिक्स, गाटा सं0-6, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुण्डवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज ईंट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित किया जा रहा है/स्थापित है जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 [illegible] ब्रिक्स, गाटा सं0-6, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुण्डवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री [illegible] (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। आख्यानुसार निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा परिसर में ईंट भट्ठे के निर्माण हेतु कच्ची ईंट भण्डारित पायी गयी एवं ईंट भट्ठे के कार्यालय भवन का निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। ईंट भट्ठे के प्रस्तावित स्थल से पूरब दिशा में लगभग-380 मीटर की दूरी पर ग्राम-[illegible], दक्षिण-पूरब दिशा में लगभग [illegible] मी0 की दूरी पर ग्राम-खरपरा, दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग-540 मी0 की दूरी पर आम का बाग, दक्षिण दिशा में लगभग-490 मी0 दूरी पर आम का बाग स्थित है एवं दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगभग-760 मी0 दूरी पर मै0 [illegible] ईंट उद्योग, ग्राम-[illegible], थाना-गंजडुण्डवारा, तह0 सहावर जनपद-कासगंज स्थित है। दक्षिण-पूरब दिशा में नगर पालिका परिषद-गंजडुण्डवारा की सीमा लगभग 2.4 कि0मी0 की दूरी पर है। निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत ईंट भट्ठा उ0प्र0 बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये स्थापित किया जा रहा है। ईंट भट्ठा बोर्ड द्वारा जारी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-425/2022 एम0डी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 से आच्छादित है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के द्वारा पत्रांक-1312/एल0सी0-3121/2022 दिनांक-01.09.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 [illegible] ब्रिक्स, गाटा सं0-6, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुण्डवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 01.09.2022 के अनुक्रम में निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 [illegible] ब्रिक्स, गाटा सं0-6, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुण्डवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत उ0प्र0 बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. यह कि निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 [illegible] ब्रिक्स, गाटा सं0-6, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुण्डवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज द्वारा अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्ठा के निर्माण कार्य को तात्कालिक प्रभाव से बन्द कर दिया जाए।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 [illegible] ब्रिक्स, गाटा सं0-6, ग्राम-खरपरा, थाना-गंजडुण्डवारा, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज को मिलने वाली सुविधायें जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला पंचायत की अनुमति आदि न दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग के संचालन को तत्काल अपने स्तर से बंद करवाने हेतु कृपया सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद-कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-कासगंज को इस आशय के साथ कि भट्ठे का लाइसेन्स निरस्त करा कर भट्ठे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, [illegible] को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

VI
16/02/23

10

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H89167 /सी–4/ईट–1176/पर्या०क्षति०/2023 दिनांक : 16-02-23

सेवा में,

मै० सरपंच ईंट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै० सरपंच ब्रिक्स),
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुण्डवारा, तहसील–सहावर,
जनपद–कासगंज

विषय : पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–837/2022 सुनैना सिंह बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 23.01.2023 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री सतेन्द्र सिंह (मुनीम) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना संचालित पाया गया। संदर्भित ईंट भट्ठा स्थल उ०प्र० शासन द्वारा जारी उ०प्र० ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मानदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाईडलाइन के अनुरूप नही है। तदक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच83517/सी–4/सामान्य–II–758/बन्दी /2021, दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से मै० सरपंच ईंट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै० सरपंच ब्रिक्स), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुण्डवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति पत्र संख्या–2722/केएस–187/2023 दिनांक 31.01.2023 में दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 23.01.2023 तक कुल 03 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार 12,500/– प्रतिदिन की दर से 03 दिवस हेतु कुल रू0 37,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

उल्लंघनकारी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या–1.3.1 (g) में उल्लिखित है कि :–

g *In order to include deterrent effect for repeated violations, EC may be increased on exponential basis, i.e. by 2 times on 1st repetition, 4 times on 2nd repetition and 8 times on further repetitions.*

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 31.01.2023 के दृष्टिगत मै० सरपंच ईंट उद्योग, (वर्तमान नाम–मै० सरपंच ब्रिक्स), ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गढ़का, थाना–गंजडुण्डवारा, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने के कारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाईडलाइन में उल्लिखित निर्देशों In order to deterrent effect for repeated violations हेतु रू0 25,000/– प्रतिदिन गणना के आधार पर कुल रू0 75,000/– (रूपये पिचत्तहर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की गयी धनराशि रू0 75,000/– (रूपये पिचत्तहर हजार मात्र) को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं०–701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

AEE

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संदर्भित उद्योग की मूल प्रतियां एवं पूर्ण विवरण साक्ष्य सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav
प्रभारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

AEE
16/2/2023

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H63517 /C-4/Gen-II-758/Closure/2021

Date 16.07.2021

पंजीकृत

M/s Sarpanch Ent Udhyog, Village-Chitaoni, Sahawar, kasganj
कासगंज।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज की सूची में आपके ईट भट्ठे का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 में प्राविधानित है कि :–

.... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.— (1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant......

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कासगंज में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्ठों की सूची में आपका ईट भट्ठा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्ठा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता हैः–

1. यह कि आपके ईट भट्ठें के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्ठा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014– टी00सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक**, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी0सी0–1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81–7–2021–39(पर्या)/2014–टी00सी0–1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्ठों के विरूद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्ठों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–4)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764

VIII
12/9/22

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या: /सी–4/ईंट–1042/बन्दी आदेश/2022, दिनांक 2-9-22

मै0 उजाला ब्रिक्स,
ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका,
तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज।

मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु उक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 31.08.2022 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री मो0 आदिल खान (पार्टनर) की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु सीढ़ी, प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल स्थापित नहीं पायी गयी एवं ईंट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा ईट भट्ठे को जारी सहमति जल/वायु में वर्णित शर्तों की अनुपालन आख्या बोर्ड को प्रेषित नहीं की गयी है। उक्त ईंट भट्ठा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–425/22 एम0सी0 द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 में आच्छादित है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–1314/केएस–537/2022 दिनांक 01.09.2022 द्वारा प्रेषित ईंट भट्ठे की निरीक्षण आख्या में प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईट भट्ठा मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह मै0 उजाला ब्रिक्स, ग्राम–रामछितौनी, पोस्ट–गरका, जनपद–कासगंज को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसैन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–4

AEE 13/9/2022

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि निर्धारित समयावधि मे प्रश्नगत ईंट भट्ठे की अनुवर्ती निरीक्षण आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–4